E-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0-03/भू0अ0नि0 (5) अपील-49/2023..........................

आदेश

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0-8404 दिनांक-04.10.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री शिवनाथ कुमार, (Emp. ID No.- SKN00794), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभय पक्ष उपस्थित।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है:-

दिनांक 17.08.2023 को निदेशालय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा लखीसराय के विशेष सर्वेक्षण शिविर-रामगढ़ चौक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निरीक्षण की तिथि तक अन्तिम प्रकाशित कुल मौजो की संख्या शून्य पाया गया तथा श्री कुमार द्वारा किये जा रहे कार्यो के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए इनके कार्यो में लापरवाही, शिथिलता, स्वेच्छाचारित, वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का उल्लघंन एवं अनुशासनहीनता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए निरीक्षण दल द्वारा इनकी सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

पूर्व में भी सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा सर्वेक्षण कार्य की प्रगति का दिनांक 20.04.2023 को जूम बैठक के माध्यम से शिविरों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में रामगढ़ चौक-01 शिविर में चल रहे सर्वेक्षण कार्य की प्रगति काफी खराब पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया। लगभग चार माह बाद पुनः दिनांक 14.08.2023 को सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा जूम बैठक के माध्यम से रामगढ़ चौक-01 की समीक्षा की गयी, परन्तु सर्वेक्षण कार्य में कोई प्रगति नहीं पाया गया।

सर्वेक्षण कार्यो की धीमी प्रगति के दृष्टिगत दिनांक 17.08.2023 को भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पदाधिकारियों द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय के शिविर रामगढ़ चौक-01 का निरीक्षण किया गया तथा चल रहे सर्वेक्षण कार्य की निम्न स्थिति पायी गई :-

समीक्षा की तिथि	कुल मौजो की सं0	एल0पी0एम0 वितरित कुल मौजो की सं0	प्रारुप प्रकाशित कुल मौजो की सं0	अन्तिम प्रकाशन हेतु कुल मौजो की सं0
20.04.2023	32	01	01	0
14.08.2023	32	01	01	0
प्रगति	—	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

निरीक्षण दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **उक्त शिविर में आपसी रंजिश व विवाद का माहौल है तथा निरीक्षण दल के समक्ष ही आरोप प्रत्यारोप व विवाद की स्थिति पायी गयी।**

उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा विशेष सर्वेक्षण शिविर रामगढ़ चौक-1 के शिविर में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की न तो समीक्षा की जा रही है और न ही कोई रूचि परिलक्षित हो रही है, जबकि इनका पदस्थापन लगभग तीन वर्षों से है, इसके बावजूद इनके शिविर का केवल 01 गांव का प्रारूप प्रकाशन किया गया अपीलार्थी को आवंटित कुल 16 राजस्व ग्रामों मेंअंतिम प्रकाशित राजस्व ग्राम की संख्या शून्य है।

दिनांक 11.04.2023 को आयोजित राज्य स्तरीय मासिक बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा 101-2500 तक खेसरों वाले राजस्व ग्राम का प्रारूप प्रकाशन की तिथि 30.06.2023 निर्धारित की गई थी, परन्तु अपीलार्थी द्वारा एक भी गांव का प्रारूप प्रकाशन नहीं किया गया। इस प्रकार वरीय पदाधिकारियों के निदेश को भी अपीलार्थी द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया है।

निरीक्षण दल द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार से निदेशालय पत्रांक–7009 दिनांक–14.09.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग कि गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण में श्री कुमार द्वारा बताया गया कि इनको आवंटित मौजा में विषेष सर्वेक्षण अमीनो द्वारा कार्य नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय मासिक बैठक एवं जूम बैठक के माध्यम से आयोजित बैठकों में 2500 से कम खेसरे वाले राजस्व ग्रामों का माह जून–2023 प्रारूप प्रकाशन पूर्ण करने हेतु कार्य योजना बनाकर, समय प्रबंधन एवं सतत् पर्यवेक्षण के साथ कार्य करने हेतु अपर मुख्य सचिव एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा निदेश निर्गत थे, बावजूद इनको आवंटित कुल–16 राजस्व ग्रामों में से एक भी राजस्व ग्राम का प्रारूप प्रकाशन कराने का लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया गया।

प्रस्तुत स्पष्टीकरण के साथ संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन स्पष्ट होता है कि लक्ष्य एवं परिणाम के लिए श्री कुमार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। आवंटित मौजा में विशेष सर्वेक्षण अमीनो द्वारा कार्य नहीं किये जा रहे थे, तो अपीलार्थी को जिला के वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जाना चाहिए था।

समर्पित स्पष्टीकरण में दिये गये तथ्य संतोषजनक/स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में श्री कुमार का संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि शिविर रामगढ़ चौक अंतर्गत एक अन्य कानूनगो का पदस्थापन मुख्यालय से किया गया था। रामगढ़ चौक शिविर अंतर्गत मुझे आवंटित राजस्व ग्रामों में से अनेकों ग्राम यथा अकौनी, फुलैया, बछिया विघा राजस्व ग्राम में विभिन्न प्रक्रमों का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। खानापुरी का कार्य पूर्ण किये जाने के बाद प्रपत्र–6 का ऑनलाईन इंट्री पूर्ण करके एल0पी0एम0 वितरण का कार्य किया जा सकता था, परन्तु जिन अमीनों का खानापुरी का कार्य पूर्ण हो गया था, उन अमीनों को शिविर प्रभारी द्वारा दूसरे मौजा में सहयोग हेतु लगा दिया जाता था, जिससे मुझे आवंटित मौजा का कार्य लंबित रह जाता था। राजस्व ग्राम–बछिया विघा में सबसे खराब परफॉरमेंस वाले अमीन को सम्बद्ध किया गया था। मुझसे सम्बद्ध मौजा में पदस्थापित अमीनों की साप्ताहिक बैठक कर अमीनवार गहन समीक्षा की जाती थी। ससमय कार्यों के निर्वहन हेतु अमीनों से अनेकों स्पष्टीकरण किया है तथा कार्य में लापरवाही बरतने वाले अमीनों पर कार्रवाई हेतु अनुशंसा शिविर प्रभारी/मुख्यालय को निरंतर किया है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि शिविर प्रभारी द्वारा जान बुझकर मेरे अन्तर्गत मौजों का कार्य बाधित करने का प्रयास किया जाता था, उनका सहयोगात्मक रवैया नहीं होने के कारण कार्यों में विलंब हुई है। शिविर प्रभारी द्वारा शिविर के कर्मियों के साथ गुटबाजी किया जाता था, शिविर प्रभारी द्वारा कर्मियों के साथ पक्षपात करने, असमानता, भेदभाव करने, धमकियाँ देने आदि की लिखित सूचना मेरे द्वारा मुख्यालय एवं निदेशालय को पूर्व में दिनांक–04.02.2021 को दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में पत्राचार किये गये अभिलेखों की प्रति समर्पित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील, अपीलार्थी का कथन, निदेशालय का मंतव्य एवं संलग्न अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कार्य योजना के साथ विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया गया है। अपीलार्थी ने विभाग/मुख्यालय से प्राप्त निदेशों के आलोक में अपने अधीनस्थ अमीनों से कार्य कराये जाने का यथासंभव प्रयास किया है। बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–628 दिनांक–18.10.2022 में **"शिविर में आपसी सामंजस्य का अभाव भी देखा गया"** अंकित है। दिनांक–17.08.2023 को निदेशालय के पदाधिकारियों द्वारा रामगढ़ चौक शिविर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में भी अंकित किया गया है कि **"उक्त शिविर में आपसी रंजिश व विवाद का माहौल है तथा निरीक्षण दल के समक्ष ही आरोप प्रत्यारोप व विवाद की स्थिति पायी गयी।"** अपीलार्थी द्वारा अपने सम्बद्ध मौजा में पदस्थापित अमीनों की अमीनवार साप्ताहिक बैठक कर समीक्षा की गयी है। ससमय कार्यों के निर्वहन न करने वाले अमीनों से अनेकों स्पष्टीकरण किया गया है।

कार्य में लापरवाही बरतने वाले अमीनों पर कार्रवाई हेतु शिविर प्रभारी/मुख्यालय को अनुशंसा भी की गयी है। शिविर प्रभारी द्वारा कर्मियों के साथ पक्षपात करने, असमानता, भेदभाव करने, धमकियाँ देने आदि की लिखित सूचना मुख्यालय एवं निदेशालय को दी गयी है।

अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप के दृष्टिगत रक्षित साक्ष्यों के आधार पर विवेचना में स्पष्ट होता है कि आरोप के अनुपात में अपीलार्थी पर गठित आरोप के विरूद्ध संविदा समाप्ति जैसा दण्ड अधिरोपित किया जाना अप्रत्यानुपातिक है।

अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश संख्या–8404 दिनांक–04.10.2023 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी का अनुपस्थित अवधि को No Work No Pay मानते हुए संविदा सेवा में पुर्ननियोजित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–49/2023..13795..**पटना, दिनांक :–**18/09/2024

प्रतिलिपिः– श्री शिवनाथ कुमार, (Emp. ID No.- SKN00794), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय Email ID- shivnathkumar9@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

18.9.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–49/2023..13795..**पटना, दिनांक :–**18/09/2024

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

18.9.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–49/2023..13795..**पटना, दिनांक :–**18/09/2024

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.9.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–49/2023..13795..**पटना, दिनांक :–**18/09/2024

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18.9.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–49 / 2023..13795.......**पटना, दिनांक** :-18/09/2024

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18.9.24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–49 / 2023..13795.......**पटना, दिनांक** 18/09/2024

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.9.24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप